

तारीख हुक्म

51का
204/21

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अभिलेख 45 वीपक कां०

6-11-23

पनाबली पेय हुई। वकील वाली उपासना
कई बार समझ दिये जाने के बावजूद ललका
पेय नहीं करता है। अतः अदालत ने एक आदेश
अवसर दिया पाकर वास्तव में पेय करने ललका
पनाबली दिनांक 18/12/25 को पेय हो।

18/12/25

पनाबली पेय इस वकील वाली उपासना
कई बार समझ दिये जाने के बावजूद ललका
पेय नहीं किया गया है। अतः अदालत ने एक आदेश
दिया कि ललका होने पर भी परिवार में
ललका ही नहीं हो पाई है। अतः पनाबली इस
ललका में जारी की जाती है। पनाबली केसल
शुभार वधर नम्बर से इस को एक बार ललका आवेक
होता है।

उप जिम्मा कलेक्टर
वजीरपुर (बिहार सिटी)

